[2019] 6 एस. सी. आर. 283

अजय कुमार

बनाम

लता @श्रति ुऔर अन्य।

(आपराधिक अपील सं 2019 का 617) अप्रैल 8,2019

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्तीगण]

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005-धारा 2 (एफ), 2 (क्यू), 2 (एस), 12-भरण पोषण का अधिनिर्णय-परिवादिनी-प्रथम प्रत्यार्थी का मामला कि वह अपने पति के साथ एक घर मे रहती थी जो पैतृक संयुक्त हिंदू परिवार के पैतृक सम्पत्ति का गठन करता था-अपीलकर्ता और उसके पति भाई थे, जो संयुक्त रूप से एक व्यवसाय करते थे-अपने पति की मृत्यु के बाद, उसे अपने वैवाहिक घर मे रहने की अनुमति नहीं दी गयी थी-परिवादिनी ने अधिनियम के तहत अपने और अपने नाबालिग बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की-परीक्षण न्यायालय ने अपीलकर्ता के विरुद्ध भरण पोषण का अंतरिम अधिनिर्णय दिया जो परिवादिनी के मृत पति के साथ मिलकर व्यवसाय कर रहा था- इस आदेश की पुष्टि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने की थी-इसके अलावा, इस दृष्टिकोण की पुष्टि उच्च न्यायालय ने की थी-अपील पर, अभिनिर्धारित अंतरिम भरण पोषण के अधिनिर्णय के आदेश को बनाए रखने के लिए परिवाद मे पर्याप्त अभिकथन-क्या धारा. 2 (एफ), 2 (क्यू), 2 (एस) की अपेक्षाओं को पूरा किया गया है- यह साक्ष्य का विषय है जिसे परीक्षण पर अवधारित किया जाएगा-इस स्तर पर भरण पोषण के अंतरिम आदेश के उद्देश्य से, ऐसी सामग्री थी जो भरण पोषण के भुगतान के संबंध मे एक निर्देश जारी करने को उचित ठहराती थी।

फौजदारी अपीलीय क्षेत्राधिकार-फौजदारी अपील नं। 2019 का 617।

सीआरएम-एम नं 44823/2018 मे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगण के निर्णय और आदेश दिनांक 10.10.2018 से।

अनिल सिंघल, अरविंद कुमार गुप्ता, अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण।

डॉ. निर्मल चोपड़ा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आदेश

1। अनुमति दी गयी।

2। यह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल जज के निर्णय दिनांक-10 अक्टूबर 2018 से उत्पन्न हुई है।
उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत के निर्णय जिसमे घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत प्रथम प्रत्यर्थी और उसके नाबालिग बच्चे के भरण पोषण के अधिनिर्णय के अंतरिम आदेश की पुष्टि की गई थी, के विरुद्ध दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया था।

3. प्रथम प्रत्यर्थी का विवाह 12 दिसंबर 2010 को विजय कुमार जिंदल से हुआ था। उनके दो बच्चे हैं।

4. प्रथम प्रत्यर्थी ने भरण पोषण के अधिनिर्णय के लिए अधिनियम की धारा 12 के तहत एक याचिका दायर की। परिवाद मे इस तथ्य का कथन है कि उसके विवाह के बाद परिवादिनी और उसके पति एक ऐसे घर मे रहते थे जो संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति का गठन करता है। वह और उसका पति आवासीय आवास के भूतल पर रहते थे। यह अधिकथित किया गया है कि अपीलकर्ता और प्रथम प्रत्यर्थी का मृत पति संयुक्त रूप से पानीपत मे किराना स्टोर का व्यवसाय करते थे। जहां से प्रत्येक की आय लगभग 30,000 रुपये प्रति माह थी।

5.परिवाद मे अभिकथन है कि विजय कुमार की मृत्यु के समय, प्रथम प्रत्यर्थी गर्भवती थी और उसने 31 जनवरी 2013 को एक बच्चे को जन्म दिया। प्रथम प्रत्यर्थी की पीड़ा उसके पति की मृत्यु के बाद शुरू हुई थी और उसे अपने वैवाहिक घर मे रहने की अनुमति नहीं दी गयी थी।

Vetted by- Alok Kumar Shukla ,Additional District and Sessions Judge Court No. 04, Shahjahanpur
J.O Code- UP6167

6. 3 जुलाई 2015 के आदेश द्वारा विचारण न्यायाधीश ने प्रथम प्रत्यर्थी को 4,000 रुपये और द्वितीय प्रत्यर्थी को 2,000 रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की धनराशि प्रदान की। भरण पोषण का अभिनिर्णय अपीलकर्ता के खिलाफ पारित किया गया था जो प्रथम प्रत्यर्थी के मृत पति के साथ मिलकर उपरोक्त व्यवसाय कर रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पानीपत के आदेश दिनांकित 3 जुलाई 2015 की पुष्टि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत ने 14 अगस्त 2018 को की थी। उच्च न्यायालय, अपीलकर्ता द्वारा दायर एक याचिका मे उक्तमत की पुष्टि की। इसलिए इन कार्यवाहियों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत संस्थित किया गया।

7. अपीलकर्ता की ओर से जो निवेदन किया गया है, वह यह है कि अपीलकर्ता जो प्रथम प्रत्यर्थी के मृतक पति का भाई है पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायित्व अधिरोपित करने का कोई आधार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधिनियम के तहत एक मात्र इस आधार पर दायित्व अधिरोपित किया गया है कि अपीलार्थी और उसका मृतक भाई संयुक्त व्यवसाय करते थे।

यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह भरण पोषण के अधिनिर्णय का अनुपालन करने के लिए अपीलकर्ता को निर्देशित करने के लिए वैध आधार नहीं हो सकता है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने परिवाद मे किये गये अभिकथनों पर भरोसा किया और तर्क प्रस्तुत किया इस स्तर पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशिष्टत: वादकालीन (इण्टर लोकुटरी) आदेश के विरुद्ध हस्तक्षेप करने के लिए न्यायालय के पास कोई कारण या औचित्य नहीं है।

9. धारा 12 (1) मे यह प्रावधान है कि एक व्यथित व्यक्ति अधिनियम के तहत एक या एक से अधिक अनुतोष पाने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। धारा 12 की उप-धारा (1) के तहत प्रस्तुत एक आवेदन पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट को धारा 20(1) के प्रावधानों के अनुसार अधिकार है कि घरेलु हिंसा के परिणाम स्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा किये गये व्यय और सहन की गयी हानियों की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थीगण को निर्देश दे। ऐसे अनुतोष मे व्यथित व्यक्ति के साथ-साथ उनकी संतान, यदि कोई है के भरण पोषण का आदेश सम्मिलित हो सकेगा, यह यही तक सीमित नहीं है इसमे दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 या तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अन्तर्गत पारित भरण पोषण या अन्य आदेश सम्मिलित है।

10. अभिव्यक्ति "प्रत्यर्थी"को धारा 2 (क्यू) मे परिभाषित किया गया है: -
2 (क्यू) "प्रत्यर्थी"से कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी मे है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन यह अनुतोष चाहा है। परन्तु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी मे रहने वाली कोई महिला भी पुरुष भागीदार के साथ किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत प्रस्तुत कर सकेगी।

11. धारा 2 (क्यू) का सारभूत भाग इंगित करता है कि अभिव्यक्ति "प्रत्यर्थी"का अर्थ किसी भी वयस्क पुरुष व्यक्ति से है, जो पीड़ित व्यक्ति के साथ घरेलू संबंध मे है या रहा है और जिसके विरुद्ध उपचार चाहा गया है। परन्तुक यह इंगित करता है कि एक व्यथित विवाहित पत्नी या विवाह की प्रकृति के के रिश्ते मे रहने वाली महिला दोनो पति के किसी रिश्तेदार या पुरुष भागीदार विरुद्ध जैसा मामला हो परिवाद दर्ज कर सकती है।

धारा 2 (एफ) "घरेलू नातेदारी"को इस प्रकार परिभाषित करता है:

2 (एफ) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी मे एक साथ रहते है या किसी समय एक साथ रह चुके है जब वे समरक्तता विवाह द्वारा या विवाह दन्तकग्रहण के प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा सम्बन्धित है या एक अविभक्त कुटुम्ब के रूप मे एक साथ रहने वाले कुटुम्ब के सदस्य है।

12. धारा 2 (एफ) अभिव्यक्ति 'घरेलू नातेदारी'को परिभाषित करता है, जिसका अर्थ ऐसी नातेदारी है जिसमे कि दो व्यक्ति एक साझी गृहस्थी मे रहते हैं या किसी समय एक साथ रहे है, जब वे समरक्तता विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध, दंतक या एक संयुक्त परिवार के रूप मे एक साथ रहने वाले सदस्य हैं।

अभिव्यक्ति "साझी गृहस्थी को "को धारा 2 (एस) मे परिभाषित किया गया है: -

2 (एस) "साझी गृहस्थी"का अर्थ है एक ऐसी गृहस्थी जहा व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी मे या फिर अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है जिसके अन्तर्गत गृहस्थी ऐसी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ता स्वामित्व या किरायेदारी मे है या उनमे से किसे के स्वामित्व या किरायेदारी मे है, जिसके सम्बन्ध मे या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनो संयुक्त रूप से या अकेले कोई अधिकार हक, हित या सम्यक अविभक्त रखते है, जिसके अन्तर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुम्ब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी इस बात पर ध्यान दिये बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी मे कोई अधिकार हक या हित है, एक सदस्य है।

13. ये सभी परिभाषाएँ अधिनियमन के सन्दर्भ मे दायित्व और उपचार दोनो सृजित करने मे संसद की मंशा के विस्तार एवं आयाम को दर्शाती है।

Vetted by- Alok Kumar Shukla ,Additional District and Sessions Judge Court No. 04, Shahjahanpur
J.O Code- UP6167

14. वर्तमान मामले मे, इस स्तर पर परिवाद के पैराग्राफ 10 के अभिकथनों का वर्णन पर्याप्त होगा। जो इस प्रकार है: -

"10। कि परिवादकर्ती" और श्री विजय कुमार जिंदल के बीच विवाह श्री नरेन्द्र जैन सुपुत्र स्वर्गीय श्री रामेश्वर दास निवासी हरियाणा स्कूल-वली-गली, 8,इंदर गढ़ी, तहसील गोहाना, जिला, सोनीपत, के द्वारा निश्चित कराया गया और शादी से पहले उन्होने (मध्यस्थ अर्थात् श्री नरेंद्र जैन) बताया कि पहले रेलवे फाटक, जतल रोड पानीपत के पास स्थित एक आवासीय मकान था, जिसका निर्माण श्री माई धन (विजय कुमार जिंदल और प्रत्यर्थी संख्या 2 के दादा) ने कराया था और उक्त श्री माईधन के मृत्यु के बाद उनके पुत्र श्री ब्रम्हानन्द जिंदल (श्री विजय कुमार जिंदल और प्रत्यर्थी संख्या-2 के पिता) मकान पर मालिक काबिज हुए श्री ब्रम्हानन्द जिंदल ने बाद मे उक्त मकान बेच दिया और मकान नं149 आठ मारला कालोनी क्रान्ति नगर राधा कृष्ण मंदिर के पास पानीपत मे अपनी पत्नी राजो देवी प्रत्यर्थी संख्या-1 के नाम करीब आठ वर्ष पहले खरीदा इस प्रकार उक्त मकान अर्थात मकान संख्या-149 आठ मारला कालोनी क्रान्ति नगर राधा कृष्ण मंदिर के पास संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक संपत्ति/आवासीय घर है, जो प्रत्यर्थी संख्या-1 के नाम पर है जैसा कि वर्तमान परिवादीगण का कथन है"

पैराग्राफ 12 और 13 इस अनुसार अभिकथित है:-

"12 कि परिवादिनी और श्री विजय कुमार जिंदल के विवाह के बाद प्रत्यार्थी गण ने नव विवाहित जोड़े (परिवादिनी संख्या-1 व श्री विजय कुमार जिंदल) को मकान नं 149 आठ मारला कालोनी क्रान्ति नगर राधा कृष्ण मंदिर के पास पानीपत मे भूतल दिया और उन्होने उपरोक्त वर्णित दहेज के सामान, घरेलू समान, आदि आवासीय परिसर (उक्त मकान के भूतल) मे रखे और उसने (अर्थात परिवादिनी संख्या-1) अपने पति के साथ अपना विवाह उस मकान के भूतल पर पूर्ण किया जिससे किर्ति जिंदल (परिवादिनी संख्या-2 का जन्म हुआ) यहा यह उल्लेख करना उचित है कि सभी दहेज के सामान, स्त्री धन, घरेलू सामान फर्नीचर आदि अभी भी परिवादिनी संख्या- 1 के उक्त घर/वैवाहिक घर मे रखे गये है और सोने के आभूषण व अन्य आभूषण सभी अभी तक प्रत्यर्थीगण के कब्जे मे है।
13. यहां यह उल्लेख करना है कि परिवादिनी संख्या-1 से विवाह के बाद दोनो भाई श्री विजय कुमार जिंदल और श्री अजय कुमार जिंदल मेसर्स अजय कुमार, विजय कुमार किराना स्टोर, जतल रोड़, संजय चौक पानीपत मे अपना संयुक्त व्यापार सहजता पूर्वक कर रहे थे और दोनो भाई तीस हजार रुपये प्रतिमाह उक्त व्यवसाय की आय से अपने परिवारों के भरण पोषण के लिए प्राप्त/अर्जित कर रहे थे। हालाकि श्री विजय कुमार की मृत्यु के उपरान्त प्रत्यर्थी संख्या-2 उक्त व्यापार का संचालन कर रहे थे और परिवादीगण उक्त संयुक्त व्यापार की आय से कम से कम तीस हजार प्रतिमाह प्राप्त करने के हकदार थे जो परिवादिनी संख्या-1 श्री विजय कुमार जिंदल के जिवित रहने के दौरान प्राप्त कर रही थी।"

15। वर्तमान स्तर पर अन्तरिम भरण पोषण अधिनिर्णय आदेश को बनाये रखने के लिए परिवाद मे पर्याप्त अभिकथन है। परिवाद के पैरा 10 से प्रथमदृष्टया स्पष्ट है कि परिवादीगण का मामला यह है कि जिस घर मे प्रथम प्रत्यर्थी और उसके पति रहते थे वह एक संयुक्त परिवार से सम्बन्धित है। अपीलकर्ता और उसके भाई (जो पहले प्रत्यर्थी के पति और दूसरे प्रत्यर्थी के पिता थे) ने एक संयुक्त व्यवसाय किया। अपीलकर्ता उसी मकान मे रहता था। अंततः, क्या धारा 2 (एफ) धारा 2 (क्यू); और धारा 2 (एस) की अपेक्षाये पूरी हुयी, यह साक्ष्य का विषय है जिसे परीक्षण मे अभिनिर्धारित किया जायेगा। इस स्तर पर भरण पोषण के अन्तरिम आदेश के उद्देश्य से, ऐसी सामग्री थी जो भरणपोषण के भुगतान के संबंध मे एक निर्देश जारी करने को विधि सम्मत ठहराती है।

16। हालाँकि, हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान आदेश और साथ ही जो आदेश अवर अदालतों द्वारा पारित किए गए हैं, वे विधि के अनुसार परिवाद के गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय पारित करने मे आड़े नहीं आयेगे।

17. बकाया राशि का भुगतान आज से चार महीने की अवधि के भीतर समान मासिक किस्तों के माध्यम से किया जाएगा।

18. तदनुसार, अपील निस्तारित की जाती है।
19. लंबित आवेदन यदि कोई हो,वे निस्तारित समझे जायेगे। अपील निस्तारित।

Vetted by- Alok Kumar Shukla
Additional District and Sessions Judge
Court No. 04, Shahjahanpur J.O Code- UP6167

Vetted by- Alok Kumar Shukla ,Additional District and Sessions Judge Court No. 04, Shahjahanpur J.O Code- UP6167